झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

झारखण्ड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा–2021

आवश्यक सूचना

संख्या :– 414 राँची, दिनांकः– 13.04.2022

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वैज्ञानिक सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 03/2021 (नियमित रिक्ति) एवं 04/2021 (बैकलॉग रिक्ति) प्रकाशित करते हुए दिनांक 24.02.2022 को CBT Mode में परीक्षा आयोजित की गई तथा मेधासूची के आधार पर अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 05.04.2022 को किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.04.2022 तक समय दिया गया।

2. उक्त समय सीमा में यथावांछित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोग का निर्णय निम्नवत् हैः–

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक /नाम/जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	21151202 Hritik Kumar 01/08/1998	विवरणिका की कंडिका– 6 (क) के अनुसार वैज्ञानिक सहायक, भौतिकी/फोटोग्राफी/डाक्यूमेंट एवं आग्नेयास्त्र के लिए शैक्षणिक अहर्त्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ फॉरेन्सिक साईंस में एम॰एस॰सी॰ एवं स्नातक स्तर पर बी॰एस॰सी॰ (भौतिकी) में प्रतिष्ठा शैक्षणिक अहर्त्ता निर्धारित है। अभ्यर्थी द्वारा बी॰एस॰सी॰ (भौतिकी) में प्रतिष्ठा के स्थान बी॰एस॰सी॰, फॉरेन्सिक साईंस उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार उन्हें कारण दर्शाने के लिए दिनांक 12.04.2022 तक का अवसर दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 11.04.2022 को अपना आवेदन आयोग में उपलब्ध कराया गया। उनके कथनानुसार उन्होंने बी॰एस॰सी॰ प्रतिष्ठा की शिक्षा फॉरेन्सिक साईंस के साथ भौतिकी एक विषय के रूप में झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पूरी की है जो झारखण्ड अधिनियम–2016 से संचालित है। संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में बी॰एस॰सी॰ स्तर पर किसी विषय की बाध्यता नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 6 (क) में अंकित शर्त्तो के आलोक में समीक्षोपरान्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक /नाम/जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
2	21080721 Mahesh Kumar Mahato 06/05/1992	विवरणिका की कंडिका– 9. (II) (ख) के अनुसार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट–IV के प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्नुसार उन्हें कारण दर्शाने का अवसर दिनांक 13.04.2022 तक दिया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 12.04.2022 के साथ भारत सरकार में नियोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर प्रमाण पत्र की प्रति आयोग में प्रस्तुत की गई तथा विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र यथा शीध्र प्रस्तुत करने का आवेदन दिया गया।	अभ्यर्थी के अभिकथन की समीक्षा विवरणिका की कंडिका– 9 (II) (छ) के आलोक में की गई। चूँकि अभ्यर्थी द्वारा गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

ह॰/–
परीक्षा नियंत्रक।